

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)



क्रमांक: एफ 1(22)ग्रावि/नरेगा/NBA/2012-13

जयपुर, दिनांक: 29.10.2014

जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा एवं जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :- निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज का पत्र क्रमांक: परावि/सीसीडीयू/स्वच्छ भारत मिशन/2014-15/3497 दिनांक 10.10.2014।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्मल भारत अभियान का पुनर्गठन कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश की प्रति संलग्न है। इसका बिन्दु सं. 6 मनरेगा योजना से सम्बन्धित है। इस पर उल्लेख है कि "व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु मनरेगा से मिलने वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु भारत सरकार के द्वारा दिया जानेवाला अंशदान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा वहन किया जाएगा।"

यह आदेश जारी दिनांक से प्रभावी होंगे, परन्तु अर्जित भौतिक प्रगति/लम्बित भुगतानों एवं मनरेगा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु जारी हो चुकी मस्टररोल के अनुरूप निर्मित किये गये शौचालयों की प्रोत्साहन राशि का पुनर्भरण पूर्व में जारी व्यवस्था अनुसार सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(डा. समित शर्मा)
आयुक्त, ईजीएस



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

आर्य समाज
निर्मल
राजस्थान

प.रा.वि./सी.सी.डी.यू./स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0)राज/2014-15/3497 जयपुर दिनांक : 10.10.14

जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष

जिला कलक्टर एवं सहअध्यक्ष

जिला स्वच्छता मिशन

जिला - समस्त

विषय - निर्मल भारत अभियान का पुर्नगठन कर स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0) के कियान्वयन के सम्बन्ध में ।

संदर्भ :- भारत सरकार का पत्र क्रमांक- डी.ओ- W11013/08/2014(Pt) dated 30 sep 2014 ।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 से निर्मल भारत अभियान को पुर्नगठित कर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार है :-

व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण की इकाई लागत को रूपये 10,000/- से बढ़ाकर रूपये 12,000/- कर दिया गया है, जिसमें जल की उपलब्धता, पानी का संग्रहण, हाथ धोने एवं शौचालय के स्वच्छता की सुविधा के प्रावधान भी सम्मिलित है।

इसके अन्तर्गत पानी के कनेक्शन की दशा में शौचालय के छत पर पानी की टंकी एवं नल कनेक्शन एवं कनेक्शन की उपलब्धता नहीं होने की दशा में पानी की टंकी एवं हाथ धोने हेतु पृथक व्यवस्था टंकी के अतिरिक्त सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2. केन्द्र सरकार का अंशदान रूपये 9000/- (75%) स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) से वहन किया जाएगा। राज्य का अंशदान रूपये 3000/- (25 %) होगा।

3. इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु अलग से प्रावधान किया जाएगा। आगामी आदेशों तक मौजूदा राशि की व्यवस्था स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) के तहत ही जारी रहेगी।

4. आई.ई.सी. का प्रावधान कुल परियोजना लागत का 8 प्रतिशत रहेगा, जिसमें 3 % राशि भारत सरकार व 5 % राशि राज्य सरकार के द्वारा उपयोग में ली जाएगी।

योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में हुए व्यय का 5 % राशि में से 1/3 राशि राज्य स्तर पर एवं

2/3 राशि में से प्राथमिकता क्रम में व्यवहार परिवर्तन के उपरान्त शौचालय निर्माण किए जाने

की दृष्टि से 60 प्रतिशत तक राशि अन्तर वैयक्तिक गतिविधियों (IPC) (ग्राम पंचायतों पर जारी

दिशा निर्देशानुसार प्रेरकों के नियोजन, खुले में शौच से मुक्त एवं निर्मल ग्राम पंचायत घोषित

होने पर पृथक - पृथक 8000/- रूपए, एक साल तक ODF Status Sustain रहने पर 6000/-

रूपए प्रति ग्राम पंचायत प्रेरकों को दिए जानेवाला एक मुश्त पारितोषिक, जिला संदर्भ व्यक्तियों

द्वारा 3 दिवसीय शर्मशार यात्रा आयोजन एवं 1 दिवसीय फोलोअप कैम्प पर होनेवाला व्यय, प्रेरकों

को दिए जानेवाले 75 रूपये प्रति शौचालय मानदेय का भुगतान) हेतु तथा शेष 40 प्रतिशत राशि

प्रशिक्षण का आयोजन, चिन्हित ग्राम पंचायतों में खुले में शौच से मुक्त प्रथम 3 माह तक स्वच्छता

दिवस आयोजित करने पर अनुमत 5000 रूपये प्रति माह व्यय, SHACS Plan के अन्तर्गत IPC

activities को छोड़कर अनुमोदित गतिविधियों पर व्यय किया जाना अनुमत होगा, परन्तु उपरोक्त

व्यय सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त अन्तपरिवर्तनीय (Inter changable) होगा।

5. कुल परियोजना लागत का 2 % प्रशासनिक व्यय निर्धारित किया गया है जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार का योगदान 75:25 रहेगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

सी.सी.डी.यू. (स्वच्छता), पंचायती राज विभाग, राजस्थान फोन- 0141 2227802 ईमेल: tscrajasthan1@gmail.com

6. व्यक्तिगत घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु मनरेगा से मिलने वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। अब घरेलु शौचालय के निर्माण हेतु भारत सरकार के द्वारा दिया जानेवाला अंशदान स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा वहन किया जाएगा।

7. निर्मल भारत अभियान के अन्य सभी घटक जैसे कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन, सामुदायिक स्वच्छता परिसर यथावत रहेंगे। ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए केन्द्र व राज्य का अंशदान क्रमशः 75:25 एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए केन्द्र राज्य एवं समुदाय का अंशदान क्रमशः 60:30:10 रहेगा।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर के कार्य तभी स्वीकृत किए जा सकेंगे, जब संबंधित ग्राम पंचायत/ट्रस्ट/अन्य द्वारा निरंतर पानी की उपलब्धता एवं स्थाई परिचालन एवं रख-रखाव का उत्तरदायित्व (Sustainable O&M is assured) की अन्डरटेकिंग लिए जाने के उपरान्त सुनिश्चितता कर बाजार/बस स्टेन्ड/पैरी अरबन एरिया/जनगणना कस्बो(Census towns)आदि में सामुदायिक स्वच्छता परिसर/सार्वजनिक शौचालय(Public toilet)सार्वजनिक निजी भागीदारी(PPP)/व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (Viability Gap Funding) के तरह भी स्वीकृत किए जा सकेंगे।

8. पाठशाला शौचालयों के निर्माण सर्व शिक्षा अभियान और आंगनबाड़ी में शौचालयों के निर्माण हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तरदायी रहेगा।

9. स्वच्छता कार्यक्रम की रणनीति व्यवहार परिवर्तन कर मांग सृजन की विधि पर रहेगी, जिससे शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित हो सके। साथ ही साथ मीडिया का प्रभावी उपयोग स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के महत्व के प्रसार हेतु किया जाएगा।

10. मोनेटरिंग व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी जिससे कार्य परिणाम (शौचालय का निर्माण) एवं प्रतिफल(उपयोग) का पर्यवेक्षण हो सके। 12वीं योजना की समाप्ति पर कार्यक्रम की विस्तृत समीक्षा होगी।

11. राज्य द्वारा क्रियान्वयन नीति, ए.आई.पी. मिशन की राय से बनाई जाएगी एवं उन राज्यों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जो योजना के अनुसार कार्य करेंगे। उन राज्यों को जो समय से पूर्व कार्य पूरा करेंगे उन्हें और प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

12. शौचालय निर्माण एवं ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के तकनीकी विकल्प मिशन द्वारा दिए जाएंगे और उच्च तकनीकी विकल्पों की अनुमति दी जाएगी किन्तु इसके लिए प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

इस विषय में लेख है कि :-

- आदेश जारी दिनांक से प्रभावी होंगे परन्तु संलग्न प्रगति अनुसार अर्जित भौतिक प्रगति/लम्बित भुगतानों एवं नुरेगा योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण हेतु जारी हो चुकी मस्टररोल के अनुरूप निर्मित किए गए शौचालयों की प्रोत्साहन राशि का पुर्नभरण पूर्व में जारी व्यवस्थानुसार सुनिश्चित किया जावे।

- विकास अधिकारी/सम्बन्धित ग्राम पंचायत से प्रमाणपत्र लिया जावे कि कोई निर्मित/पूर्ण शौचालय ऐसा नहीं है जिसका भुगतान किया जाना शेष है। उसकी सुनिश्चितता उपरान्त पूर्व में जारी स्वीकृतियों में से शेष शौचालय विहीन परिवारों की स्वीकृति आदेश जिससे पूर्व में जिला परिषद/विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृतियां जारी की गई है का हवाला देते हुए संशोधित स्वीकृति परिवार-वार उपरोक्तानुसार 15 दिवस में जारी किया जाना सुनिश्चित करावे।

- लाभार्थी द्वारा स्वयं के संसाधनों से निर्मित शौचालयों के आदेश दिनांक 3.1.2014 (संलग्न) के अनुसार योजनान्तर्गत पारितोषिक के (समयबद्ध 7 दिवस में) ग्राम पंचायतों से भुगतान करने हेतु

जारी किए जानेवाले उपयोगिता प्रमाणपत्र में शौचालय निर्माण की प्रगति के दौरान एवं पूर्णता उपरान्त दो फोटो प्रेरक/रोजगार सहायक से प्रमाणित शुदा चिपकाने उपरान्त ही संशोधित स्वीकृतियों के पारितोषिक का भुगतान लाभार्थी को किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

विस्तृत दिशा-निर्देश भारत सरकार के द्वारा बाद में जारी किए जाएंगे।

संलग्न :- भारत सरकार का पत्र



(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीया मुख्यमंत्री जी
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रा.वि.एं. पं.रा.वि.राज.
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
4. निजी सचिव, सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय / मनरेगा, ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार
5. निजी सचिव, संयुक्त सचिव (स्वच्छता), पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रा.वि.एं. पं.रा.वि. / शिक्षा / चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / महिला एवं बाल विकास विभाग / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
8. निजी सचिव, आयुक्त, पं.रा.वि.राज
9. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, ग्रा.वि.वि.
10. निदेशक, स्वच्छ भारत अभियान, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार
11. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि. / पं.रा. वि. / ई.जी.एस.
12. अति आयुक्त एवं संयुक्त सचिव, पं.रा.वि.
13. अति उपायुक्त, प्रशिक्षण, पं.रा.वि.
14. अति मुख्य अभियन्ता, पं.रा.वि.
15. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रा.वि.वि. / पंचायतीराज / ई.जी.एस, जयपुर
16. मुख्य / अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - समस्त
17. जिला परियोजना समन्वयक, एन.बी.ए. जिला - समस्त
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक, सीसीडीयू (स्वच्छता)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायतीराज)

एफ.4 () परावि/एनबीए/सीसीडीयू 62957

जयपुर, दिनांक : 3-1-2014

जिला प्रमुख एवं अध्यक्ष,
जिला कलक्टर एवं सह अध्यक्ष
जिला स्वच्छता मिशन
जिला समस्त।


विषय :- निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत निर्मित शौचालयों के समय बद्ध भुगतान बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि निर्मल भारत अभियान अन्तर्गत वर्ष 2013-14 हेतु चिन्हित ग्राम पंचायतों को शत प्रतिशत निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रदान करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाया जाना सुनिश्चित करावे।

1. चिन्हित ग्राम पंचायतों में बेस लाईन सर्वे के आधार पर समस्त एपीएल/बीपीएल परिवार जिनके शौचालय का निर्माण किया जाना अपरिहार्य है की स्वीकृति निर्मल भारत अभियान की मार्गदर्शिका के प्रावधानानुसार एक ही स्वीकृति (एनबीए-नरेगा कन्वेंजेन्स) 15 दिवस की अवधि में जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
2. स्वप्रेरित होकर शौचालय का निर्माण किये जाने वाले लाभार्थियों को नियत समय में एनबीए मद में भुगतान की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थी द्वारा शौचालय पूर्णता की रिपोर्ट परिशिष्ट "ब" में प्रस्तुत किये जायेगा। लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत पूर्णता प्रमाण पत्र पर भौतिक सत्यापन (पूर्णता रिपोर्ट) ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक/ग्राम सेवक द्वारा प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जा सकेगा। इस तरह से भुगतान किये गये प्रमाण पत्रों का क्षेत्र भ्रमण के दौरान रेन्डमली (अलग-अलग गली मोहल्ले/गाँव) शौचालयों का निरीक्षण पंचायत समिति के ब्लॉक कोर्डिनेटर/नामित प्रसार अधिकारी द्वारा 20 प्रतिशत एवं जिला स्तर से जिला परिषद के जिला समन्वयक/प्रभारी अधिकारी द्वारा 5 प्रतिशत किया जावेगा ताकि कोई अनियमितता की स्थिति में पंचायत समिति/जिला परिषद द्वारा सुधारात्मक/प्रभावी कदम क्रियान्वित के संदर्भ में लिया जा सके। (एनबीए मद अन्तर्गत देय राशि नरेगा अन्तर्गत श्रमिकों को देय राशि के भुगतान से पूर्व ही प्रोत्साहन राशि के रूप में शौचालय पूर्ण होने एवं उपयोगिता सुनिश्चित कर दी जा सकेगी)
3. जिला परिषद द्वारा प्राथमिकता क्रम में चिन्हित निर्मल ग्राम पंचायतों को (ई बैंकिंग के माध्यम से) शौचालय विहीन परिवारों के (Saturation Approach) स्वीकृत शौचालय का अधिकतम 25 प्रतिशत शौचालयों की (4600 रु प्रति शौचालय इकाई) राशि अथवा 5 लाख रु में से जो भी कम हो अग्रिम स्वरूप रिवाल्विंग फंड के रूप में उपलब्ध करायेगे।
4. अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाली राशि का पृथक से खाता ग्राम पंचायत द्वारा संधारित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। पंचायतों द्वारा शौचालय के पूर्णता सुनिश्चित करने के पश्चात लाभार्थी को 4600 रु पारितोषिक के रूप में शौचालय निर्माण के अधिकतम 7 दिवस में ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को सीधे ही ई बैंकिंग के माध्यम से लाभार्थी के खाते में एवं खाता धारक नहीं होने पर चेक द्वारा भुगतान की सुनिश्चिता की जावेगी। ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को किसी भी अवस्था में नगद भुगतान अनुमत नहीं होगा।
5. ग्राम पंचायत द्वारा इकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार-स) प्राप्त राशि का 60 प्रतिशत व्यय कर प्रस्तुत करने पर आगामी रिवाल्विंग फंड पुर्नभरण कर जिला परिषद द्वारा अधिकतम 7 दिवस में ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराया जावेगा(ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों के पृथक-पृथक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा सिर्फ संलग्नानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ शौचालय निर्मित वाले लाभार्थियों की सूची जिसमें ग्राम सेवक एवं सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर ही अपरिहार्य होंगे)। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जावे कि जारी रिवाल्विंग फंड का ग्राम पंचायतों एक माह में आवश्यक रूप से पुर्नभरण कर समायोजन करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
6. दिये गये रिवाल्विंग फंड की साप्ताहिक समीक्षा जिला परिषद स्तर पर आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावे। यदि किसी ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये रिवाल्विंग फंड का उपयोग न कर रोके रखे (Blocked) जाने अथवा लाभार्थी को भुगतान में विलम्ब की अवस्था में संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर राज्य स्तर पर अविलम्ब अवगत कराना सुनिश्चित करावे।
7. ऐसे लाभार्थियों को जो शौचालय का निर्माण स्वप्रेरित होकर कर रहे हैं को नरेगा से मस्टर रोल उपलब्ध कराने के दायित्व के साथ-साथ ग्राम पंचायतों लाभार्थी को सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से लाभार्थी की मांग के आधार पर किसी स्थानीय सप्लायर के माध्यम से सामग्री उपलब्ध करा सकेगे। जिसका पुर्नभरण लाभार्थी द्वारा सीधे ही सप्लायर को किया जावेगा।

संलग्न :- प्रपत्र



(अपूर्णा अरोरा)


शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, मा० मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि.राज।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि.राज।
3. निजी सचिव शासन सचिव एवं आयुक्त, पं.रा.वि.राज।
4. मुख्य/अति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा पारितोषिक राशि प्राप्त करने हेतु शौचालय का पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र

1. नाम लाभार्थी ————— पिता का नाम ————— जाति —————
 2. ग्राम ————— ग्राम पंचायत ————— पं०स० ————— जिला —————
 3. श्रेणी (उपयुक्त श्रेणी में करें) — बी.पी.एल.(कार्ड क्रमांक—)/ए.पी.एल.(एस.टी/एस.सी./अन्य)
 4. स्वीकृति क्रमांक: ————— दिनांक : —————
 5. शौचालय निर्माणकर्ता — स्वयं लाभार्थी केवल
 6. कार्य प्रारंभ का दिनांक —————
 7. शौचालय पूर्ण कर उपरोक्त प्रमाणपत्र ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने का दिनांक —————
 8. रोजगार सहायक/कनिष्ठ लिपिक/ग्राम सेवक द्वारा निरीक्षण दिनांक
9. निर्मित किए गए शौचालय का फोटो :-



प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा जारी स्वीकृति के अनुरूप नवीन शौचालय का निर्माण कर उपयोग में लिया जा रहा है। जिसका फोटो उपरोक्तानुसार संलग्न है। अतः प्रार्थी को प्रोत्साहन/पारितोषिक राशि का भुगतान किए जाने की अनुशंसा करता हूँ।

हस्ताक्षर - लाभार्थी	नाम एवं हस्ताक्षर प्रेरक (यदि लाभार्थी का शौचालय प्रेरित कर बनवाया हो)	हस्ताक्षर - ग्राम रोजगार सहायक / कनिष्ठ लिपिक / सचिव (कोई एक)
----------------------	--	---

नोट :- नरेगा के श्रमिकों को भुगतान करने हेतु पूर्व में पत्रांक दिनांक 30अक्टूबर2012 द्वारा जारी सारलीकृत उपयोगिता प्रमाणपत्र मान्य होगा।

491

4 R (2) 2 - 4

Utilization Certificate

GP, PS, District, NBA, Rajasthan
(Centre/State Share)

Ref; No.	File/letter no.	Amount		Date:
		Centre	State	
S. No	Letter no.			Certified that out of Rs. of grants in aid sanctioned during the year.....in favour of GP, Rajasthan vide different.....given in the margin and Rs..... interest and miscellaneous receipt.....On account of unspent balance with the GP as per list attached of the previous year, a sum of Rs. has been utilized by the GP as per list attached for the purpose of approved work under NBA for which it was sanctioned and the balance of Rs. remaining unutilized with the GP as per list attached at the end of the year shall be carried forward to the next months for imoplementation of the programme.
Total				
Physivcal output under NBA for the utilized funds as reported in the income and expenditure account as per enclosed DO of ACS (RD&PR) Dated 25.04.2013 of point no. 2 details				
	Components	Performance/ nos of units constructed	unit cost in Rs.	total cost in Rs.
✓	IHHL (BPL)		1200	
			3200	
			4600	
✓	IHHL (APL)			
3	Community Sanitary Complex		180000	
4	School Toilets (old rate)			
	School Toilets (new rate)		35000	
5/	Toilet in Rajive Gandhi Sava Kendra at GP level			
6	Toilet in Rajive Gandhi Sava Kendra at PS level			
7/	Anganwadi Toilets (old rate)		5000	
	Anganwadi Toilets (new rate)		8000	
8/	SLWM			
9	RSM/PC			
10	Admin expen			
	DSU			
	BSU			
	✓ Motivators @ 3500 under JEC			
	✓ Motivators @ 75/50/25 under IEC			
11	IEC expen			
12	Training expen			
	District level			
	Block level			
	GP level			
	Total			

Signature (Sarpanch)

Signature (Secretary)



सत्यमेव जयते

ADDP CHIEF SECRETARY TO GOVERNMENT
RURAL DEV. & PANCHAYATI RAJ DEPT.
RAJASTHAN, JAIPUR-302 005

श.सं. क्रमांक एक 4 (1) पंचायत/पीसी/ए.ए.ए./ग्रामिण /
कॉ. 12-13/155 दिनांक 25-4-13

श्री. वाकिल

निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत जिले द्वारा आप के प्रतिनिधि से से किए गए मिलान अनुसार विगत वर्ष में विभिन्न एजेंसियों को दिए गए अग्रिम के विरुद्ध अवशेष राशि (लाखों में) का विवरण निम्नानुसार है।

N.G.O	S.S.A	Panchayat Samities	Gram Panchayat	RSM/PC	ZP(OVP) for IAY tolets	Others	Total U.C. required	U.C. Received but not adjusted	Total advance	Unspent Cash Balance
00.00	54.68	5.72	00.00	11.25	00.00	4.38	76.03	17.17	93.20	87.79

उपरोक्तानुसार दिए गए अग्रिम का समायोजन नहीं होने के कारण भारत सरकार से योजनामद में राशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। जिसके कारण राज्य की प्रगति बाधित हो रही है।

आप से अपेक्षा है कि आप आपके स्तर से समीक्षा कर इसी वित्तीय वर्ष में विशेष अभियान चलाकर शेष उपयोगिता प्रमाणपत्रों का समायोजन निम्न बिन्दुओं को ध्यान रखते हुए कराना सुनिश्चित करावे। ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप जिले को राशि प्राप्त हो सके।

- कालम संख्या 8 में वर्णित राशि के प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों का अविलम्ब समायोजन करवाने के साथ साथ अबतक समायोजन नहीं किए जाने की समीक्षा कर होपी कार्यों के विरुद्ध अविलम्ब कार्यवाही अमल में लावे।
- एस.एस.ए./पंचायत समिति/ग्राम पंचायत को दिए गए अग्रिम के विरुद्ध सम्पादित हुए कार्यों का एकजाई विवरण निम्न प्रपत्र में तैयार करने के निर्देश देते हुए पृथक-पृथक उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी न करने के निर्देश देते हुए एकजाई उपयोगिता प्रमाणपत्र (संलग्नानुसार) जारी करने हेतु निर्देश प्रदान करावे। जिसपर सक्षमकर्ता द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया हो कि राशि का उपयोग योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार (संलग्न सूची) परिसम्पत्तियों के सृजन में किया गया है।

Sl. no	Name of Work (MHL beneficiary name School/Anganwadi/community complex)	Category APL/BPL etc.	Gram	Gram Panchayat	Sanction Amount	Sancti. no.	Utilized amount	II MB filled no./page no.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

- एस.एस.ए./पंचायत समिति को दी गई राशि के घटे यदि व्यय हो गया है परन्तु कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। कार्यवाही हुए व्यय का विवरण की सूची तैयार करवा कर ग्रामीण कार्य निर्देशिका के प्रावधान अनुसार (परिशिष्ट-17) उपरोक्तानुसार आंशिक समायोजन (Part adjustment) कराना सुनिश्चित करावे।
- संस्थाओं द्वारा राशि का उपयोग नहीं किए जाने/अन्य कार्यों में उपयोग लिए जाने की अवस्था में जिला स्तर/पंचायत समिति स्तर से अन्य योजना मदों में इस वित्तीय वर्ष में दिए जानेवाले निधियों से सीधे ही एन.बी.ए. मद में लिया जा कर समायोजन करवाना सुनिश्चित करावे। गैर सरकारी संगठन/व्यक्तिगत को दिए गए अग्रिम की नकद प्राप्ति हेतु अंतिम नोटिस जारी करते हुए 7 दिवस में नकद जमा करवाने के निर्देश जारी करावे। राशि जमा न कराने की अवस्था में संबंधित के विरुद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा कर पी.डी.आर. के तहत वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करावे तथा की गई कार्यवाही से अवगत करावे।

मपनिष्क

(सी.एस.राजन)

श्री. रमेश शर्मा

जिला कलेक्टर

जिला - अजमेर

93

Nirmal Bharat Abhiyan (NBA)
PHYSICAL PROGRESS AS ON 15.09.2014 (AT A GLANCE)

Sl. No.	District Name	Total No. of GP	Total Sanction can be issued against requirements as per clause line	Target 2014-15	Total sanction release under NBA against column 3	% of sanction against target	Convergence up to 2014-15 against column 5	Completed in year 2014-15	Total Completed	% Completed against target	Entered On MIS No.	MR ISSUED	No of GPs ready for inter district verification	Sanction release in panchayat Diwas	S1WWM position			District Name	No. of GP	District Name	% Larger to smaller		
															proposal required of Inter district verified GP's	proposal received and approved by PRD	proposals sanctioned by district & work start or not						
1	ALWAR	3	4	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	ALWAR	276	204819	85000	86450	101.71	77529	4497	10094	11.88	1322	6012	8	63006	17	12	12	12	19	BARMER	0	JAISALMER	70.69
2	ALWAR			200000	71032	35.51	68540	5987	14026	7.01	166	7157	34	17294	14	7	7	7		BHARATPUR	0	BIKANER	68.49
2	BANSWARA	472	491722	141220	79204	56.09	79204	3176	10680	7.56	441	483	4	16376	1	0	0	0		BUNDI	0	CHURU	67.02
4	BARAN	214	165007	70000	109392	156.27	109392	5147	7866	11.24	349	309	1	70040	1	0	0	0		KOTA	0	PALI	43.70
5	BARMER	380	219505	91000	64660	71.05	40094	13490	17480	19.21	0	4663	0	6243	0	0	0	0		S. MADOHO	0	PANUMANGARH	40.84
6	BHARATPUR	371	308893	126000	75594	60.00	17748	955	4231	3.36	0	2656	0	8599	0	0	0	0		SIROHI	0	JODHPUR	35.55
7	BHILWARA	383	358806	148000	90638	61.24	17130	1385	6045	4.08	0	790	30	23745	0	0	0	0		TONK	0	JHUNHUNU	30.83
8	BIKANER	219	95850	41000	64023	156.15	64023	14580	28080	68.49	0	1919	111	0	57	58	0	0		UDAIPUR	0	NAGARK	28.62
9	BUNDI	181	152651	64000	43757	68.37	10251	9738	15676	24.49	0	24165	40	10365	8	11	10	10		PHATAGARH	0	BUNDI	24.49
10	CHITTORGARH	288	206574	106000	47505	44.82	46556	11616	21509	20.39	267	8885	9	22192	1	0	0	0		JHALAWAR	0	SIROHI	24.02
11	CHURU	249	89581	40000	53696	134.24	53696	22425	26806	67.02	407	1953	15	4381	49	36	0	0		SIKAR	0	RAJASAMAND	20.63
12	DAUSA	225	210478	88000	139813	158.88	139813	5010	6599	7.50	0	1000	0	93276	0	0	0	0		JAISALMER	0	CHITTORGARH	20.29
13	DHOLPUR	153	160316	64000	99954	156.34	99994	4936	6274	9.80	131	904	0	83135	2	2	0	0		RAJASAMAND	0	UDAIPUR	20.27
14	DUNGARPUR	237	314365	124000	126291	101.85	126291	6728	9020	7.27	0	308	8	126291	5	0	0	0		DUNGARPUR	0	BARMER	19.21
15	GANGANAGAR	320	84268	38000	33585	88.38	33585	2858	7276	19.16	106	871	10	176291	12	12	0	0		BHARAN	0	KARAUJI	19.19
16	HANUMANGARH	251	56817	28000	46232	165.11	17873	5442	11434	40.84	10381	0	18	9338	18	4	0	0		BANSWARA	0	GANGANAGAR	19.15
17	JAIPIUR	489	531967	215000	171771	79.89	170380	7002	16882	7.85	0	7140	1	151388	2	1	0	0		JHUNHUNU	0	JALOR	16.05
18	JAISALMER	128	54416	25000	31240	124.96	31240	9076	17657	70.63	28	205	12	13137	13	0	0	0		BHILWARA	0	SIKAR	12.58
19	JALOR	264	253117	80000	64308	80.39	53095	9436	12838	16.05	402	1025	0	24134	16	0	0	0		GANGANAGAR	0	AMER	11.88
20	JHALAWAR	252	222033	92000	67959	73.87	67959	7950	8371	9.10	0	83	2	4200	4	0	0	0		DHOLPUR	0	BARAN	11.24
21	JHUNHUNU	288	133919	58000	37397	64.48	25732	15291	17880	30.83	430	25732	75	1148	30	21	0	0		DAUSA	0	KOTA	10.21
22	JODHPUR	339	178999	74000	57060	77.11	0	17377	26307	35.55	16664	270	2	21145	13	3	0	0		HANUMANGARH	0	DHOLPUR	9.80
23	KARAUJI	223	370852	152000	120451	79.24	120451	6891	29163	19.19	0	18838	23	53153	6	0	0	0		BIKANER	0	JHALAWAR	9.10
24	KOTA	156	139093	58000	36178	62.38	36178	4771	5923	10.21	0	0	15	6812	4	2	0	0		CHURU	0	JAIPIUR	7.85
25	NAGARK	461	302607	78000	101454	130.07	26418	15007	22325	28.62	693	10350	0	67839	17	8	0	0		ALWAR	0	BANSWARA	7.56
26	PALI	320	184803	78000	79846	102.37	55911	24322	34085	43.70	2238	3404	15	47311	7	3	0	0		JALOR	0	DAUSA	7.50
27	RAJASAMAND	205	90171	40000	18176	45.44	4831	6659	8252	20.63	1092	243	4	14289	4	0	0	0		AMER	0	DUNGARPUR	7.27
28	S. MADOHO	197	221744	204969	204969	100.00	204969	5983	9089	4.43	0	14471	4	151241	2	2	0	0		JAIPIUR	0	ALWAR	7.01
29	SIKAR	329	169945	72000	54081	75.11	47455	187	9057	12.58	8	2400	0	40083	12	6	0	0		CHITTORGARH	0	S. MADOHO	4.43
30	SIROHI	151	79006	34000	16188	47.61	15223	6648	8168	24.07	0	30327	15	11240	14	0	0	0		JODHPUR	0	BHILWARA	4.08
31	TONK	230	192162	198000	22263	11.24	20357	605	4823	2.44	1345	0	0	8400	0	0	0	0		NAGARK	0	BHARATPUR	3.36
32	UDAIPUR	467	488489	198000	92356	46.64	49028	11276	40144	20.27	636	0	0	64894	13	0	0	0		KARAUJI	0	TONK	2.44
33	PRATAPGARH	0							0														
G-and Total		9025	7054624	3111189	2407543	77.38	1930946	290611	474060	35.24	10331	178108	456	1234695	336	176	176	176	9367			9367	
									474060	(4.74 lac)													

Total NHIL Complete
IN 2 years

93

जिले की प्रगति का सारसंग (दिनांक 30.09.2014 तक की स्थिति) A I A GLANCE

क्र.सं.	जिले का नाम	शेष उपलब्ध राशि														समाप्त दिवस को किये गए सावित भुगतान	पचायत दिवस को किये गए सावित भुगतान	समाप्त दिवस को किये गए सावित भुगतान	रिवाज फंड की राशि	राशि की भां	नियोजित प्रेरकों की संख्या	जिले का नाम	Position of advance in descending order
		अग्रिम	नकद	अग्रिम	कुल शेष राशि (19+20)	लम्बित भुगतान की संख्या	दिवस को किये गए सावित भुगतान	समाप्त दिवस को किये गए सावित भुगतान	रिवाज फंड की राशि	राशि की भां	नियोजित प्रेरकों की संख्या	जिले का नाम	Position of advance in descending order										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	AJMER	220.46	179.55	50	450.01	233.58	51.91	3.76	131.85	84.58	216.43	640	579	30	60	260	114	JUNGARPUR	1775.67				
2	ALWAR	757.52	260.73	39.9	1058.15	206.56	19.52	6.17	590.89	462.42	1053.31	0	692	28	27.3	0	60	JDAIPUR	1457.49				
3	BANSWARA	302.43	1292.85	0	1595.28	87.24	5.47	20.29	602.69	905.35	1508.04	97	318	307	424.45	115.4	38	BANSWARA	905.35				
4	BARAN	178.86	176.51	316	671.37	22.58	3.38	0.09	83.91	584.78	648.69	0	0	373	379	74.6	428	ALI	620.55				
5	BARMER	357.16	544.69	0	901.85	249.38	27.65	0.00	107.78	544.69	652.47	274	11	214	404.03	200	0	ALOR	618.999				
6	BHARATPUR	271.3	216.08	0	487.38	150.73	30.93	0.00	32.07	354.58	386.65	0	0	87	258.65	0	0	GANGANAGAR	583.29				
7	BHILWARA	269.44	212.32	71.86	553.62	420.06	75.88	0.00	42.86	90.7	133.56	0	69	365	55	1400	0	AJMER	577.71				
8	BIKANER	940.89	477.47	0	1418.36	196.12	13.83	0.00	748.97	477.47	1226.44	0	0	1	0.5	0	74	BARAN	564.78				
9	BUNDI	172.78	364.97	0	537.75	38.35	7.13	0.00	94.48	404.92	499.4	2191	2191	90	422.8	600	20	BARMER	544.69				
10	CHITTORGARH	294.82	325.84	0	620.66	130.42	21.01	7.59	44	446.24	490.24	26	18	288	285	350	8	BIKANER	477.47				
11	CHURU	195.65	57.89	130.91	384.45	192.88	50.17	29.30	82.61	109.78	192.39	125	3480	0	0	0	0	ALWAR	462.42				
12	DAUSA	232.7	22.76	92.88	348.34	42.37	12.16	0.00	110.22	195.75	305.97	0	28	225	215.39	51.96	750	Jhalawar	452.61				
13	DHOLPUR	136.6	270.139	50	456.739	12.51	2.81	0.14	139.04	304.847	443.887	185	0	58	114	0	24	CHITTORGARH	446.24				
14	DUNGARPUR	526.3	1372.17	0	1898.47	6.64	0.35	0.00	116.16	1775.67	1891.83	1500	0	237	1273.5	100	150	JALSALMER	419.09				
15	GANGANAGAR	312.85	449.93	74.58	837.36	0.25	0.05	4.88	179.04	583.29	762.33	0	0	0	0	0	55	BUNDI	404.92				
16	HANUMANGARH	148.51	302.95	3.6	455.06	112.08	24.63	0.00	9.71	333.27	342.98	0	0	21	17.5	7660.97	133	JODHPUR	364.04				
17	JAIPUR	297.25	561	50	908.25	148.24	16.32	0.00	182.3	577.71	760.01	6867	10015	115	550.14	3000	720	KOTA	362.35				
18	JALSALMER	194.96	494.99	27.82	717.77	136.53	19.02	1.29	162.15	419.09	581.24	164	0	9	45	0	196	BHARATPUR	354.58				
19	JALOR	501.0853	459.6273	0	960.713	154.6162	16.09	18.49	156.102	618.999	775.1009	0	0	264	620.46	0	348	FANUMANGAR	338.27				
20	Jhalawar	318.51	437.61	0	756.12	118.51	15.67	0.00	200	452.61	652.61	287	287	35	179.05	0	70	DHOLPUR	304.847				
21	JHUNJHUNU	94.83	102.53	157.56	354.92	175.28	49.39	19.78	69.06	110.58	179.64	0	6	45	154.66	1665.88	94	SIKAR	304.79				
22	JODHPUR	351.28	383.17	0	734.45	34.8	4.74	12.42	407.75	364.04	771.79	0	2663	17	85	0	60	TONK	291.67				
23	KARAUALI	374.98	234.56	0	609.54	415.9	68.23	0.00	87.9	105.64	193.54	57	57	55	146.38	1295	60	S Madho	276.13				
24	KOTA	273.87	192.35	0	466.17	18.82	4.04	0.00	85	362.35	447.35	1	1	137	271	500	60	DAUSA	195.75				
25	NAGAU	198.21	29.8	62.96	290.97	227.17	78.07	2.53	45.58	140.27	185.85	1777	208	45	148	4370	40	RAJASAMANE	181.89				
26	PALI	303.45	822.922	0	1126.37	492.04	43.68	87.49	113.78	620.55	734.33	16059	58	320	171.66	194.9	300	NAGAU	140.27				
27	RAJASAMAND	272.23	137.36	0	409.59	90.65	22.13	51.67	146.85	181.89	328.74	0	0	69	133.27	0	12	S ROHI	128.64				
28	S. Madho	266.28	382.98	0	649.26	106.85	16.46	0.00	266.28	276.13	542.41	0	0	197	317	150	58	JHUNJHUNU	110.58				
29	SIKAR	342.51	235.15	6.85	584.51	29.65	5.07	0.37	249.26	304.79	554.05	0	0	38	82	451.53	0	CHURU	109.78				
30	SIROHI	119.14	134.05	0	253.19	55.31	21.85	0.00	68.24	128.64	197.88	175	179	6	27	35	30	KARAUALI	105.64				
31	TONK	321.56	144.67	0	466.23	4.21	0.90	16.05	170.35	291.67	462.02	0	0	34	197	690	18	BHILWARA	90.7				
32	UDAIPUR	549.99	1670.421	0	2220.41	308.339	13.89	30.84	460.072	1457.49	1917.562	0	0	467	796.253	0	0	AJMER	84.58				
33	Pratapgrh			50	50	0					0								Pratapgrh				
	TOTAL	10098.36	12950.04	1134.92	24183.3	4619.306	19.10	313.15	5987.95	14050.8	20038.74	30432	20860	4177	7315.853	25897.94	3920		14050.79				

Note :- प्रगति एकमात्र से दर्ज नहीं होने की वजह से गांव सरका द्वारा इस विवेक से 81 करोड़ की कटौती की गई है।

